न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 142/2017/डिक्री

1. भगवानलाल पिता भूरा रेगर
2. तुलसीराम पिता भूरा रेगर
3. डालचंद पिता भूरा रेगर
4. मदनलाल पिता भूरा रेगर
5. नानीबाई पुत्री भूरा रेगर
6. रामीबाई पुत्री भूरा रेगर

सभी निवासी मंगोदडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. भंवरपुरी पिता रामपुरी गोस्वामी
   निवासी दिवाकर नगर चामटीखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. पुरूदा पत्नि अमित कोठारी
   निवासी दिवाकर नगर चामटीखेडा जरिये पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर भंवरपुरी पिता रामपुरी गोस्वामी निवासी दिवाकर नगर चामटीखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. उदयलाल पिता किशना गुर्जर
   निवासी बरखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. पार्वती पत्नि सुधीर कुमार सुखवाल
   निवासी तुलछा माता मन्दिर के पास किला रोड चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 09/06/2017 प्रकरण संख्या 62/2017

उपस्थित – 1. श्री बंसतीलाल पोखरना – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री राकेशपुरी गोस्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 से 3

निर्णय दिनांक – 28.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 ने अपीलान्टस संख्या 2 से 7 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पार्वती के विरूद्ध एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जेयाबी आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम मंगोदडा पटवार

हल्का अभयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मे खाता संख्या 55 पर दर्ज आराजी नम्बर 261 रकबा 40 बीघा 80 बिस्वा, आराजी नम्बर 261 की उत्तरी दिशा मे 8 मीटर की चौडाई पर अपीलान्टस संख्या 2 से 7 तक कने अतिक्रमण किया एवं आराजी नम्बर 254 कह पश्चिमी मेर पर 26 मीटर की चौडाई पर व आराजी नम्बर 260 की पश्चिम मेर पर लगभग 20 मीटर चौडाई पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती पार्वती ने अतिक्रमण किया एवं ग्राम मंगोदडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 5 मे वर्णित आराजी नम्बर 254 एवं 260 की उत्तर मेर पर 6 मीटर की चौडाई पर प्रतिवादी संख्या 4 ने तथा आराजी नम्बर 254 की पश्चिमी मेड पर 26 मीटर की चौडाई पर व आराजी नम्बर 260 की पश्चिमी मेर पर लगभग 20 मीटर चौडाई पर तथा आराजी नम्बर 261 की उत्तरी दिशा मे 8 मीटर की चौडाई पर अपीलान्टस संख्या 2 से 7 तक ने अतिक्रमण किया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ मे वाद संख्या 62/2017 मे दिनांक 09/06/2017 को न्याय आपके द्वार 2017 राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अभयपुर मे डिक्री व निर्णय बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के किया जो विधि एवं तथ्यो के प्रतिकूल होने से इस डिक्री व निर्णय से असंतुष्ट अपीलान्ट संख्या 1 से 6 तक जो अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक थे की ओर से यह अपील पेश की जा रही है और प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती पार्वती जिसके विरूद्ध भी यह निर्णय व डिक्री पारित की गयी वो अपीलान्टस के साथ अपील पेश करने को तैयार नही होने से उसे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बनाकर यह अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय जैर अपील विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा वाद संख्या 62/2017 के विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन आदेश 5 नियम 1 व 5 जा0दी0 दिनांक 09/06/2017 के लिए किये गये थे। इन सम्मन मे कही यह उल्लेख नही था कि प्रतिवादीगण को न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अभयपुर मे उपस्थित होना हो। साक्ष्य मे न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पेश है जिससे यह साबित है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की कोई सूचना जारी नही की गयी कि वो राजस्व लोक अदालत कैम्प अभयपुर मे दिनांक 09/06/2017 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कैम्प कोर्ट अभयपुर मे अपीलान्टस/प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक को वादीगण के वाद पत्र एवं साक्ष्य का खण्डन किये जाने का किसी भांति कोई

अवसर प्रदान नही किया और मनमाने तौर पर बिना प्राकृतिक न्याय के सामान्य मूलभूत सिद्वान्तो की पालना किये व अपीलान्टस प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक को अपना कथन प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान किये बगैर डिक्री व निर्णय पारित की है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09/06/2017 निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दिनांक 01/05/2017 को प्रथम बार दर्ज होकर वास्ते जवाब दिनांक 09/06/2017 को रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 01/05/2017 की आदेशिका मे कांट छांट की गयी है तथा आगामी तारीख पेशी मे बदलाव कर दिनांक 09/06/17 बनाया गया। अगली ही पेशी मे दिनांक 09/06/2017 को एक दिन मे ही राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अभयपुर मे प्रकरण रख कर प्रकरण निर्णित कर दिया गया है। सम्मन किसी भगवान नामक व्यक्ति को तामील कराये गये है जिसका श्री रमेश चन्द रेगर से क्या सम्बन्ध है, नही बतलाया गया है। प्रकरण एकाएक दिनांक 09/06/2017 को वादी के हक मे निर्णित कर दिया गया। कैम्प कोर्ट मे श्री दिनेश चन्द्र पोखरना उपस्थित रहे है जिन्होने ने जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया था फिर भी प्रकरण निर्णित कर दिया गया। इस सम्बन्ध मे अपील मे अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र पोखरना का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है जिनके हस्ताक्षर दिनांक 09/06/2017 की आदेशिका पर उपलब्ध है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील अपीलान्ट/प्रतिवादी के आग्रह के बाद भी एक ही दिन मे जवाब प्राप्त किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत नही है। इस सम्बन्ध मे

वकील श्री दिनेश चन्द्र पोखरना द्वारा अपील मे प्रस्तुत शपथ पत्र महत्वपूर्ण है जिसे झूठलाया नही जा सकता है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 62/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 09/06/2017 को अपास्त करते हुए उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को पुनः निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़